

प्रेस प्रकाशनी **PRESS RELEASE**



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

12 दिसंबर 2025

भारतीय रिजर्व बैंक ने दि भुज मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ दि अमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमोद, गुजरात के स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि भुज मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ दि अमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमोद, गुजरात के समामेलन की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) से प्रभावी होगी। दि अमोद नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमोद, गुजरात की सभी शाखाएं 15 दिसंबर 2025 से दि भुज मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

(त्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1695